2021/235

फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- ~~उपखण्ड अधिकारी एवं~~ सहायक कलक्टर ~~उपखण्ड मजिस्ट्रेट~~, बस्सी

ओमप्रकाश बनाम मोहनलाल

प्रकरण संख्या 103/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/10/21	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री सुधीर शर्मा ने पेश किया। प्रार्थी के वकील को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं.1 ने केविएट पेश की हुई है अतः केविएट कर्ता को नोटिस जारी होकर कैम्प मोहनपुरा में पत्रावली दिनांक 1.11.21 को पेश हो। [signature]	
	1/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैम्प मोहनपुरा में पेश हुई। प्रार्थीगण व केविएट कर्ता की ओर से वकील श्री सुरेश चन्द शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं.1 के वकील को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गयी। अप्रार्थीगण को कैम्प फाल्यावास में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब/बहस TI हेतु पत्रावली कैम्प फाल्यावास में दिनांक 3.11.21 को पेश हो। [signature]	नकल प्राप्त की [signature] (सुरेश शर्मा) 1/11/2021
	03/11/2021	पत्रावली कैम्प रा.उ.मा.वि. फाल्यावास में पेश हुई। उभय पक्षकार स्वयं उपस्थित। अप्रार्थीगणों की ओर से जवाब पेश। जवाब शामिल पत्रावली रहे। अप्रार्थीगणों के जवाब के साथ तहसील बस्सी	

द्वारा दिनांक 21.11.2020 को
खसरा संख्या 55/1 के सीमांकन
की रिपोर्ट भी पेश की गई जो
शामिल पत्रावली रहे।

~~उभय पक्षो को सुना गया।~~

आपत्तिकर्ताओं द्वारा अन्तर्गत
धारा-151 प्रार्थना पत्र पेश
किया जो शामिल पत्रावली रहे।

उभय पक्षो को सुना गया।
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
एवं उसके जवाब तथा पत्रावली
पर उपलब्ध अन्य रिकार्ड
का सावधानीपूर्वक अवलोकन
किया गया।

यह प्रार्थना पत्र खसरा
संख्या 64 रकबा 0.3035 हे.
ग्राम चक मझूपुरा तह. बस्सी
पर स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत
से आधारित है। प्रार्थीगण
खसरा संख्या 64 के खातेदार
है तथा खसरा संख्या 55/1
स्थित ग्राम चक मझूपुरा तह.
बस्सी के खातेदार अप्रार्थीगण
है। खसरा संख्या 64 एवं

दिनांक आदेश व कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	55/1 की सीमा लगती हुई है। प्रार्थीगणों ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 64 पर अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की है। प्रार्थीगणों ने अपने प्रार्थना पत्र में चरण संख्या ③ में इंगित किया है कि अप्रार्थीगणों द्वारा खसरा संख्या 64 की खसरा संख्या 55/1 से लगती हुई सीमा पर 4 फीट अन्दर घुसकर नींव खोदने का कार्य किया है। अप्रार्थीगणों द्वारा अपने जवाब में यह तथ्य उल्लेखित किया है कि ~~किनके~~ खसरा संख्या 64 एवं 55/1 की सीमा पर लगभग 40 वर्षों से तारबंदी की हुई है तथा दिनांक 11.11.2020 को तहसीलदार द्वारा खसरा संख्या 55/1 की सीमाज्ञान किया है जिसकी रिपोर्ट	

जवाब के साथ संलग्न है।

अप्रार्थीगणों द्वारा तहसील बस्सी द्वारा किए गए सीमाज्ञान एवं पूर्व में 40 वर्षों से लगी हुई तारबंदी से खसरा संख्या 55/1 की ओर 1 फीट छोड़कर बाउंड्रीवाल का निर्माण करना ~~से है~~ उल्लेखित किया है।

प्रार्थीगणों द्वारा पिछले कई वर्षों से दोनों खसरों की सीमा पर तारबंदी होना स्वीकार किया। लेकिन दिनांक 11.11.2020 को तहसील बस्सी द्वारा किए गए सीमाज्ञान की जानकारी नहीं होना बताया तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 64 एवं 55/1 की लगती हुई सीमा पर वर्तमान तारबंदी जो कई वर्षों से मौके पर है, से खसरा संख्या 55/1 की ओर 4 फीट

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दूरी तक की भूमि पर विवाद है, जिसे आगे विवादित भूमि कहा जाएगा। प्रार्थीगणों द्वारा खसरा संख्या 64 के सीमाज्ञान होने तक विवादित भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना है। यदि सीमा ज्ञान खसरा संख्या 64 किया जाकर सीमा निर्धारित होने से पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण करते है तो अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगणों को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 64 के सीमाज्ञान हेतु सात दिवस के भीतर तहसील बस्सी में आवेदन करें, खसरा संख्या 64 के सीमाज्ञान होने अथवा मूल वाद के निस्तारण तक जो भी पहले हो खसरा संख्या 64 एवं 55/1 की सीमा पर वर्तमान स्थित तारबंदी से दोनों	

तरफ खसरा संख्या 58/1 की
ओर 4 फीट तथा खसरा
संख्या 64 की ओर 4 फीट
की भूमि पर उभय पक्षों
को अस्थायी निषेधाज्ञा से
इस आशय से पाबंद किया
जाता है कि कोई नवीन
निर्माण नहीं करें। दोनों
खसरों में तारबंदी से 4 फीट
छोड़कर उभय पक्ष अपने
खसरों में अपने खातेदारी
अधिकारों का उपयोग करने
में पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, इसमें
किसी भी पक्ष द्वारा एक
दूसरे के कार्य में बाधा
उत्पन्न नहीं करने हेतु
पाबंद रहेंगे।

फैसला खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से दाखिल हो।